राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/ 288-319 जयपुर, दिनांक 01/11/2010

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त। (बांसवाड़ा छोड़कर)

विषय :– आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चो को नाश्ता एवं अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की योजना के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– समसंख्यक विभागीय आदेश कमांक 10513–45 दि.19.02.08, 27548–58 दि. 03.05.08, 53777–808 दि. 08.09.08, 10079–10110 दि. 13.02.09 एवं 65394–704 दि. 29.09.09

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं अतिरिक्त पोषाहार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने की योजना में आपके द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार योजना के चतुर्थ चरण हेतु निम्नानुसार 62 बाल विकास परियोजनाओं का चयन किया गया है :–

क्र.सं.	जिला	चतुर्थ चरण हेतु चयनित परियोजनाएं
1	अजमेर	ब्यावर–शहर व श्रीनगर
2	अलवर	बनसूर व बहरोड़
3	बीकानेर	श्रीडूंगरगढ़ व बीकानेर–ग्रामीण
4	बाड़मेर	सिणधरी व बाड़मेर–ग्रामीण
5	भीलवाड़ा	सुवाणा व माण्डलगढ़
6	भरतपुर	नदबई व नगरपहाड़ी
7	बूंदी	केशवरायपाटन व हिण्डोली
8	बारां	छबड़ा व बारां–शहर
9	चित्तौड़गढ़	कपासन व चित्तौड़गढ़–ग्रामीण
10	चूरू	सुजानगढ़–ग्रामीण व सरदारशहर–ग्रामीण
11	डूंगरपुर	सीमलवाड़ा
12	दौसा	बांदीकुई व दौसा–शहर
13	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़–ग्रामीण व नोहर–शहर
14	जयपुर	संगानेर–ग्रामीण व फागी
15	जोधपुर	बिलाड़ा व शेरगढ़
16	जैसलमेर	सम
17	झालावाड़	बकानी व मनोहरथाना
18	झुन्झुनू	चिड़ावा व नवलगढ़
19	जालोर	रानीवाड़ा व सायला
20	कोटा	सांगोद व इंटावा
21	करौली	सपोटरा व हिण्डोनसिटी
22	नागौर	जायल व मूण्डवा
23	पाली	खारची व बाली
24	सीकर	खण्डेला व नीमकाथाना
25	सिरोही	रेवदर व शिवगंज
26	श्रीगंगानगर	सादुलशहर व पदमपुर
27	राजसमंद	आमेट व भीम
28	टोंक	देवली व टोडारायसिंह
29	उदयपुर	कोटड़ा व लसाड़िया
30	सवाई माधोपुर	बामनवास व गंगापुरसिटी–शहरी
31	प्रतापगढ़	अरनोद व प्रतापगढ़
32	धौलपुर	धौलपुर–शहर व राजाखेड़ा

विभागीय पत्र दिनांक 19.02.08 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. पूरक पोषाहार निर्माण प्रक्रिया में अनुमानित पांच प्रतिशत छीजत होती है। अतः विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 10513–45 दिनांक 19.02.08 के साथ संलग्न पूरक पोषाहार निर्माण हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री के विवरण की सारणी में उल्लेखित मात्राओं में पांच प्रतिशत मात्रा अतिरिक्त जोड़ते हुए कच्ची सामग्री का उपयोग कर पूरक पोषाहार का निर्माण कराया जाये।

2. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए स्वयं सहायता समूहों का चयन विभागीय आदेश दिनांक 19.02.2008 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार ही किया जावे। चयनित स्वयं सहायता समूहों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका तथा सहयोगिनी अथवा इनके परिवार के व्यक्ति सदस्य नहीं होने चाहिए। यदि किसी आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए ऐसा समूह उपलब्ध नहीं है तो अन्य नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध स्वयं सहायता समूह से पूरक पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था कराई जावे।

3. चयनित समूह के साथ अनुबंध (M.O.U.)निष्पादित करते समय समूह से इस आशय का पत्र भी प्राप्त किया जावे कि इस कार्य में उस समूह की और से सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होने पर समूह की और से समूह की किन महिलाओं द्वारा पूरक पोषाहार का निर्माण एवं आपूर्ति की जायेगी।

4. स्वयं सहायता समूहों से पोषाहार आपूर्ति प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित **कर लिया जावे कि परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर पूर्व में उपलब्ध पोषाहार का पूर्ण रूप से उपयोग हो गया है** तथा इस बाबत् बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी इस आशय का प्रमाण–पत्र भी निदेशालय को प्रेषित करेंगे कि स्वयं सहायता समूहों का चयन विभागीय निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है।

5. (i) बेबी मिक्स पोषाहार के निर्माण के लिए अन्य कच्ची खाद्य सामग्री के अलावा सोयाबीन की आवश्यकता रहती है और सोयाबीन राजस्थान के कई जिले/स्थानों पर या तो उपलब्ध नहीं होता है अथवा अधिक दर पर उपलब्ध होता है इसलिए विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार की सफल क्रियान्विति के लिए यह आवश्यक है कि परियोजना के अंतर्गत सक्षम SHG (जिन्हें Mother SHG भी कह सकते हैं) को सोयाबीन की फसल आने पर जब दरें तुलनात्मक रूप से कम होती है एकमुश्त खरीद के लिए तैयार कर सकते हैं जो चयनित अन्य SHGs को निर्धारित दर पर उपलब्ध करा सके। Mother SHG अपने मार्जिन को जोड़ कर दर निश्चित कर सकते हैं इससे Mother SHG को भी अर्थोपार्जन का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक क्षमता और इच्छा के आधार पर Mother SHG अन्य सामान का भी थोक में क्रय कर अन्य SHGs को उपलब्ध करा सकते हैं। Mother SHG का मार्जिन युक्तियुक्त होना चाहिए। किसी भी स्थिति में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सोयाबीन तथा अन्य सामग्री की दर बाजार मूल्य से अधिक न हो।

(ii) कार्यक्रम की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि उचित दर पर सोयाबीन और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी स्थानीय दुकानदारों से सम्पर्क कर उन्हें यह अवगत करा दें कि स्थानीय समूहों द्वारा इन सामानों का नियमित अंतराल से सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए क्रय किया जायेगा। नियमित क्रय के आधार पर कच्ची सामग्री मुख्यतः सोयाबीन की खरीद दर को युक्तियुक्त कराया जा सकता है।

(iii) स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समूहों का क्लस्टर फार्म कर पोषाहार निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण अनुदान के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है जब समूह के दस में से सात सदस्य बीपीएल वर्ग के हो। इस स्थिति में लगभग दस समूहों के क्लस्टर द्वारा पोषाहार के लिए कच्ची सामग्री का क्रय होलसेल दर पर किया जाकर पोषाहार का निर्माण एक उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है। निर्मित पोषाहार को क्लस्टर के समूह सदस्य द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर आपूर्ति कराई जा सकती है। इस विषय में अधिक जानकारी सीडीपीओ, झाडोल श्रीमती अपर्णा भटनागर, मोबाइल नंबर–9413318342, श्रीमती अंशु भटनागर, उपनिदेशक, चित्तौड़गढ़, मोबाइल नंबर–9413024684 से सम्पर्क किया जा सकता है ।

6. स्वयं सहायता समूहों का चयन उपरांत बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में M.O.U. निष्पादित करेंगे तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए पहले से ही उपलब्ध पोषाहार के समाप्त होने की तिथि के ठीक बाद की तिथि से बेबी मिक्स पोषाहार आपूर्ति प्रारम्भ करने के लिए स्वयं सहायता समूह को सूचित करायेंगे।

7. वर्तमान में दिनांक 01.01.2009 से राशि 3.45 प्रति 100 ग्राम की दर प्रभावी है जिसके हिसाब से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए 750 ग्राम बेबी मिक्स के पैकेट की कीमत 3.45 X 7.50 = 25.88 रूपये एवं 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए 600 ग्राम बेबी मिक्स के पैकेट की कीमत 3.45 X 6.00 = 20.70 रूपये

8. योजनान्तर्गत स्वय सहायता समूहो के प्रशिक्षण हेतु बजट राशि उपलब्ध करवाने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

9. चयनित परियोजना मे सैक्टरवार आंगनबाड़ी केन्द्रो की कुल सख्या, आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या जिनके लिए स्वय सहायता समूह का चयन हो चुका है, एमओयू निष्पादित हो चुका है, केन्द्रो की सख्या जिनके लिए पोषाहार समूह से प्राप्त करना शुरू हो गया है तथा शेष केन्द्रो की सख्या जहा पोषाहार अभी तक समूहो से प्राप्त नहीं किया गया है उन पर पोषाहार प्राप्त करने की सम्भावित तिथियों की सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में 21.01.2010 तथा तत्पश्चात प्रत्येक सप्ताह के अन्त मे यथा 28.01.2010, 04.02.2010 एवं इसी कम में जब तक सभी केन्द्रो पर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू नहीं हो जाती है प्रेषित करेंगे :–

परियोजना का नाम .....

क्र. सं.	सैक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्रो की सख्या					
		कुल सख्या	समूहो को प्रशिक्षण	MOU निष्पादित	उपलब्ध पोषाहार के पूर्ण उपयोग की तिथि	केन्द्रो की संख्या जहा पोषाहार SHG से प्राप्त किया जा रहा है।	केन्द्रो की संख्या जहा पोषाहार SHG से प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

योजना के चतुर्थ चरण में चयनित समूहो से कुछ केन्द्रो पर पोषाहार की आपूर्ति दिनांक 21.01.2010 अथवा परियोजना/सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर उपलब्ध पोषाहार पूर्णतया समाप्त होने की दिनाक से जो भी पहले हो प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 20.02.2010 तक आवश्यक रूप से समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लागू किया जाना सुनिश्चित करावें। **किसी भी स्थिति में पूर्व पोषाहार के रहते हुए स्वयं सहायता समूह से पोषाहार नहीं प्राप्त किया जावे।** निदेशालय से आगामी आपूर्ति आदेशों में उक्त चयनित परियोजनाओं के लिए बेबी मिक्स/पंजीरी पोषाहार का आवटन नहीं किया जावेगा।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाए
राज. जयपुर।

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/ 320-414 जयपुर, दिनाक 01/1/2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एव बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय को लेख है कि सम्बन्धित परियोजनाओं को विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार के लिए बजट का आवटन परियोजना मे आगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या लाभान्वित 3 वर्ष तक के बच्चे एवं गर्भवती/धात्री महिलाएं तथा किशोरी बालिकाओं की संख्या के आधार पर माह मे 25 दिवस के लिए आवश्यक राशि की गणना के आधार पर करना कृपया सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
7. परियोजना अधिकारी–यूनीसेफ–राजस्थान, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, केयर–राजस्थान, जयपुर।
9. उप तकनीकी सलाहकार, फूड एवं न्यूट्रेशन बोर्ड, महिला एवं बाल बिकास मंत्रालय, भारत सरकार की राज्य ईकाई जयपुर/उदयपुर।
10. समन्वयक–यूनीसेफ, मुख्यालय।
11. तकनीकी संदर्भ अधिकारी .....।
12. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, ...।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।